



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ.701()परावि/प्रशा.2/क.अ./जांच/पावटा-जयपुर/2021/1256 जयपुर, दिनांक 16.04.21

—:: आदेश ::—

श्री राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति पावटा जिला जयपुर को विकास अधिकारी, पंचायत समिति पावटा जिला जयपुर तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना पनियाला, जिला जयपुर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इनके विरुद्ध मु.न. 117/2016 धारा 420, 409, 120B IPC में दिनांक 29.01.2021 को गिरफ्तार किया गया, जिसको दिनांक 30.01.21 को मा. न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायालय आदेश से दिनांक 30.01.2021 को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

अतः राज्य सरकार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता को गिरफ्तारी दिनांक 29.01.2021 से निलम्बित माने जाने के (Deemed to have been suspended) एतद्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री राजेन्द्र कुमार का निलम्बनकाल के दौरान मुख्यालय पंचायती राज विभाग, मुख्यालय जयपुर रहैगा। निलम्बनकाल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

15/4/2021
(डॉ. घनश्याम)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, शासन सचिव महोदया, पंचायती राज विभाग।
- 2- निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
- 3- मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर।
- 4- विकास अधिकारी, पंचायत समिति पावटा जिला जयपुर को उनके पत्रांक पसपा/संस्था/2021/156 दिनांक 09.04.2021 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त निलम्बन आदेश का श्री राजेन्द्र कुमार की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से इन्द्राज कर प्रमाणित प्रति विभाग को प्रेषित करावें।
- 5- श्री राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता (निलम्बित), पंचायत समिति पावटा जिला जयपुर।
- 6- एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 7- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)